न्यायालय–श्री मानवेन्द्र सिंह, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–78/2003

मु0 माला कुंवर एवं अन्य..वादीगण

बनाम

शेख सैफ एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
08.04.2026	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 03.12.2025 अंतर्गत आदेश 22 नियम 02 वो दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01(क) की मृत्यु दिनांक 15.04.2021 हो चुकी है। मु0 माला कुंवर के सभी वारिसान इस वाद में पर्व से ही पक्षकार है। प्रस्तावित विलोपन अत्यंत औपचारिक है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी सं0–01(क) का नाम वाद पत्र के वादी कॉलम से विलोपित करने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन पर अनापत्ति दर्ज किया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के वादी सं0–01(क) मु0 माला कुंवर की मृत्यु हो चुकी है। वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। नियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमन K. Rudrappa V/S Shivappa AIR 2004, SC 4346 एवं Ganesh Prasad Badrinath Lahoti V/S Sanjeev Prasad Jamuna Prasad Chaurasia AIR 2004, SC 4158 के आलोक में तथा न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 03.12.2025 को स्वीकार किया जाता है, तद्नुसार वादी सं0–01(क) मु0 माला कुंवर (मृतक) का नाम वाद पत्र से विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। वाद दिनांक 06.05.2026 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	